



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

Recovery Department, Regional Office Indore

क्ष. का. / वसूली / 2020.21 / सरफेसी /

विक्रय नोटिस (रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा)

अज्ञेय

दिनांक : 28/08/2020

प्रति,

पूजा वैयरहाउस

प्रो सुंदर सिंह राजपूत पुत्र श्री बाबू सिंह राजपूत

जमानतदार श्री बाबू सिंह राजपूत

WARD नो 4 पटेलपुरा

हाटपिपलिया

जिला देवास (म.प्र)

आपको सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने, जो वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के अधीन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, म.प्र. का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता प्रो सुंदर सिंह राजपूत पुत्र श्री बाबू सिंह राजपूत को स्वीकृत किया गया कुल ऋण रु. 300000000 /.. जिसमें/ सम्पत्ति बंधककर्ता श्री सुंदर सिंह राजपूत पुत्र श्री बाबू सिंह राजपूत को तारीख 19/04/2020 को एक मांग नोटिस, उसमें उल्लिखित रकम का जो कि रु. 38080574 एवं ब्याज/खर्च अतिरिक्त है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए, जारी किया था।

आपके द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने, उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01/03/2019 को नीचे वर्णित बन्धक संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

स्थावर संपत्ति का विवरण

भूमि एवं बिल्डिंग के गोडाउन के सर्वे नंबर.9/13 (पार्ट) सबडिविजन के बाद नया नंबर 9/13 मिनी -2 एरिया .094 हेक्टर और सर्वे नंबर 9/17 (पार्ट) सबडिविजन के बाद नया नंबर 9/17/मिनी -4 (एरिया .040 हेक्टर) पटवारी हल्का नंबर 17 (नया 45) गांव लसूडिया मोरी तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र) कुल एरिया 0.134 हेक्टर.

विक्रय भूमि का नेट एरिया 0.114 हेक्टर हैं तथा शेष भूमि रास्ते की भूमि हैं

चतुर्थ सीमाएं -1.पूरब -दूसरे सर्वे की भूमि 2) पश्चिम -कॉमन रोड

3.उत्तर -सर्वे नंबर 9/17 की शेष भूमि 4.दक्षिण -दूसरे सर्वे की शेष भूमि



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

Recovery Department, Regional Office Indore

भूमि एवं बिल्डिंग के गोडाउन के सर्वे नंबर 9/13 (पाट) सबडिविजन के बाद नया नंबर 9/13/मिनी -1 एरिया .048 हेक्टर और सर्वे नंबर 9/17 (पाट) सबडिविजन के बाद नया नंबर 9/17/मिनी -3 (एरिया 0.092 हेक्टर) पटवारी हत्का नंबर 17 (नया 45) गांव लसूडिया मोरी तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.) कुल एरिया 0.140 हेक्टर. विक्रय भूमि का नेट एरिया 0.117 हेक्टेयर हैं तथा शेष भूमि रास्ते की भूमि हैं


चतुर्थ सीमाएं -

1. पूरब -दूसरे सर्वे की भूमि 2. पश्चिम -कॉमन रोड
3. उत्तर -सर्वे नंबर 9 की शेष भूमि 4. दक्षिण -सर्वे नंबर 9 की शेष भूमि

सम्पत्ति स्वामी प्रो सुरेंद्र सिंह राजपूत पुत्र श्री बाबू सिंह राजपूत and जमानतदार श्री बाबू सिंह राजपूत, की संपत्ति
Land and Building Situated at 9, SDA, COMPOUND LASUDIYA MORI, INDORE

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप इस नोटिस प्राप्ति से तीस दिवस के अन्दर अपने ऋण खाते में सम्पूर्ण देय ऋण राशि ब्याज/खर्चों सहित बैंक में जमा कर ऋण खाते को बन्द नहीं करते हैं तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा बंधक सम्पत्ति को नीलामी प्रक्रिया में आरक्षित मूल्य ₹20002000 रखा गया है, नीलामी हेतु दिनांक 26/07/2020 रखी गई है। अधिकतम बोली पर संपत्ती को विक्रय कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

स्थान इंदौर
तारीख 26/06/2020


प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंदौर म.प्र.